



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 फाल्गुन, 1946 (श०)

संख्या - 115 राँची, मंगलवार,

4 मार्च, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

19 फरवरी, 2025

विषय: उच्च कुशलता प्राप्त प्रोफेशनल को संविदा के आधार पर सलाहकार-सह-विशेष सचिव के रूप में नियोजित करने संबंधी संकल्प संख्या-8598, दिनांक-29.09.2015 को निरस्त करने के सम्बन्ध में।

संख्या-11/प्र०सु०-02-10/2024 का.- 943-झारखण्ड सरकार के विभिन्न विभागों में उच्च कुशलता प्राप्त प्रोफेशनल को संविदा के आधार पर सलाहकार-सह-विशेष सचिव के रूप में नियोजित करने के संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-8598, दिनांक-29.09.2015 निर्गत है। जिसका मूल उद्देश्य प्रशासनिक ढाँचा में कॉरपोरेट एवं प्रोफेशनल तत्व का समावेशन करते हुए प्रशासनिक रूपांतरण करने एवं दीर्घकालीन दृष्टि के माध्यम से समग्र विकास संबंधी विभागीय रोड मैप तैयार कराने तथा कुशल एवं प्रभावकारी कार्यक्रम प्रबंधन के माध्यम से योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु विशेषज्ञों की सेवा लिया जाना है। प्रावधानुसार संविदा अवधि प्रथमतः तीन वर्षों एवं इसके पश्चात 02 वर्षों के लिए विस्तारित की जा सकती है।

2. उक्त संकल्प के अनुसार संविदा पर नियोजन के पूर्व समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करते हुए प्राप्त आवेदनों के आधार पर संबंधित विभाग के द्वारा विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष साक्षात्कार का आयोजन किया जाता है। तत्पश्चात् साक्षात्कार के परिणाम को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा हेतु रखा जाता है। उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के पश्चात् माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् चयनित अभ्यर्थी को संविदा पर नियोजित किया जाता है।

3. उक्त प्रावधान के आलोक में कुल तीन विभागों यथा-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची तथा कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची (सम्प्रति अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची) के द्वारा उच्च कुशलता प्राप्त प्रोफेशनल को संविदा के आधार पर सलाहकार-सह-विशेष सचिव के रूप में नियोजित किया गया था।

4. तत्पश्चात् मात्र कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा ही सलाहकार-सह-विशेष सचिव के रूप में कार्यरत श्री प्रदीप कुमार हजारी की संविदा अवधि को विस्तारित करने की आवश्यकता महसूस की गयी। जिसके आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-2750, दिनांक-28.04.2022 एवं इस क्रम में निर्गत विभागीय संकल्प (शुद्धि पत्र) संख्या-2963, दिनांक-09.05.2022 के द्वारा 03 वर्षों के लिए नियोजित किये जाने एवं 02 वर्षों के लिए अवधि विस्तारित किये जाने के उपरांत भी अगले 02 वर्षों के लिए (भूतलक्षी प्रभाव सहित) पुनः संविदा अवधि को विस्तारित करने का प्रावधान निरूपित किया गया।

5. पुनः कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा श्री प्रदीप कुमार हजारी की संविदा अवधि को विस्तारित करने का अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-2006, दिनांक-13.03.2024 के द्वारा 03 वर्षों के लिए नियोजित किये जाने एवं 02-02 वर्षों के लिए अवधि विस्तारित किये जाने के उपरांत (3+2+2=7) भी अगले 02 वर्षों के लिए (भूतलक्षी प्रभाव सहित) पुनः संविदा अवधि को विस्तारित करने का प्रावधान निरूपित किया गया।

6. वर्तमान में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के अंतर्गत मात्र श्री प्रदीप कुमार हजारी ही सलाहकार-सह-विशेष सचिव के रूप में संविदा के आधार पर नियोजित है, जिनकी संविदा अवधि दिनांक-09.02.2024 के प्रभाव से अगले अतिरिक्त 02 वर्षों तक विस्तारित है।

7. उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वर्तमान में मात्र एक ही विभाग यथा-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा सलाहकार-सह-विशेष सचिव के रूप में प्रोफेशनल की सेवा प्राप्त की जा रही है। ऐसे में राज्य सरकार के द्वारा उच्च कुशलता प्राप्त प्रोफेशनल की संविदा के आधार पर विभागीय सलाहकार-सह-विशेष सचिव के रूप में नियोजित करने संबंधी संकल्प संख्या-8598, दिनांक-29.09.2015 के द्वारा लिये गये निर्णय का वास्तविक उद्देश्य ही पूर्ण नहीं हो पा रहा है। साथ ही सलाहकार के नियोजन से व्यवस्था अथवा योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई प्रभावकारी परिवर्तन हो, ऐसा भी दृष्टिगत नहीं है।

वैसे भी विभिन्न विभागों में प्रोफेशनलों को आवश्यकतानुसार रखने का प्रचलन रहा ही है जिसके लिए Project Management Unit इत्यादि का गठन किया जाता है, परन्तु उन्हें विशेष सचिव जैसे उच्चस्तर पद सहित किसी अन्य पद के समकक्ष नियोजित नहीं किया जाता है। साथ ही कई ऐसी कंसलटेंट कम्पनियाँ भी सुलभ हैं, जिनसे आवश्यकतानुसार संबंधित कार्य / योजना पूर्ण होने तक के लिए प्रोफेशनलों की सेवाएँ प्राप्त किए जाने का विकल्प उपलब्ध है। प्रभावकारी व्यवस्था यह है कि प्रोफेशनल व्यक्ति सरकारी तंत्र से अलग ईकाई के रूप में कार्यरत हो एवं आवश्यकता पड़ने पर ही प्रोफेशनलों की सेवा प्राप्त की जाय। प्रायः यह देखा जा रहा है, कि संविदागत व्यवस्था में सेवा नियमितिकरण के मामले प्राप्त हो रहे हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को अमूमन हतोत्साहित करता है।

उक्त के अतिरिक्त प्रोफेशनलों को सलाहकार के रूप में नियोजित करने की उक्त व्यवस्था में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान भी नहीं किया जा सका था, इस कारणवश अत्यंत पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जनजाति /अनुसूचित जाति के प्रोफेशनलों को सलाहकार-सह-विशेष सचिव के रूप में नियोजित होने का संवैधानिक रूप से समान अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

8. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-8598, दिनांक-29.09.2015 एवं इस क्रम में निर्गत सभी संकल्पों / अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने हेतु विषयांकित मामले को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे जाने की आवश्यकता महसूस की गयी।

9. तदनुसार मंत्रिपरिषद की दिनांक-21.01.2025 को संपन्न बैठक में मद संख्या-10 के द्वारा निम्न प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

"(क) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-8598, दिनांक-29.09.2015 एवं इस क्रम में निर्गत सभी संकल्पों/अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाय।

(ख) श्री प्रदीप कुमार हजारी जिनकी संविदा अवधि दिनांक-09.02.2024 के प्रभाव से अगले अतिरिक्त 02 वर्षों तक विस्तारित है, उन्हें मात्र अपनी विस्तारित अवधि तक के लिए ही कार्यरत रहने दिया जाय।"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण कुमार टोप्पो,
सरकार के सचिव।
